मूल कर्त्तव्य : स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के मद्देनजर **42वें संशोधन अधिनियम**, **1976** के जरिए **भाग 4क** में **अनु. 51 क** के जरिए मूल कर्त्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। **86 वें संविधान संशोधन** के **ग्यारहवें मूल कर्त्तव्य** के रूप में (6-14) वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का माता-पिता का दायित्व जोड़ा गया। **अगर नीति निदेशक तत्वों** की **संकल्पना आयरलैंड** से ली गई है, तो **मूल कर्त्तव्य** की **तत्कालीन सोवियत संघ** से।

राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति तुलना		
महत्वपूर्ण पहलू	**राष्ट्रपति**	**उपराष्ट्रपति**
अर्हता	• भारत का नागरिक हो • 35 वर्ष की आयु • लोकसभा सदस्य बनने की पात्रता धारण करता हो • लाभ का पद धारण नहीं करता हो।	• भारत का नागरिक हो • 35 वर्ष आयु • राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता धारण करता हो। • संसद या विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो। • लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
निर्वाचन	• निर्वाचक मण्डल का स्वरूप अनु.54 (लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य) • एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के आधार पर (अनु. 55) • संघ और राज्य के बीच मत-मूल्यों की दृष्टि से समतुल्यता बनाए रखना	• निर्वाचक मण्डल का स्वरूप अनु. 66 (1) (लोकसभा +राज्यसभा के सदस्य) • एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति
बर्खास्तगी प्रक्रिया	• **महाभियोग का प्रावधान** -अनु.56 (1b) • **महाभियोग का आधार: संविधान का अतिक्रमण** • महाभियोग की प्रक्रिया (अनु. 61)	• **राज्यसभा के संकल्प द्वारा** (तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित) • लोकसभा भी राज्यसभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव से सहमत हो • अनु. 67 (b)

कार्यपालिका : संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्टपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रीपरिषद् आते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। **उपराष्ट्रपति** राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और **राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को संपादित करता है। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता।**

मंत्रिपरिषद् : यह राजनैतिक कार्यपालिका का प्रमुख अंग है। **अनु. 75 (1)** के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और **अनु. 75 (3)** के अनुसार वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। **अनु. 75 (5)** के अनुसार निरंतर छह मास तक सदन का सदस्य न हो पाने पर वह इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

Meghwal's IAS